

ब्याचालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

तारीख हुकम

बनाम

मु. सं.

विकासित भूमि में अधिकांश खेती के पक्ष में निष्पादित विद्युत पत्र को रद्द करवाने हेतु कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। यदि कोई विद्युत पत्र यदि छोड़े तो निष्पादित हुआ था तो उसे उपखण्ड को विद्युत पत्र के निरस्तकरण की कार्यवाही करनी चाहिए। साथ ही विद्युत पत्र की विद्युत डाला कोई शिक्षित, डाका अथवा अपना पक्ष प्रस्तुत में नहीं रखा है। अतः प्रथम दुल्हा खेती उपखण्ड के पक्ष में साक्ष्य नहीं है।

अतः उपखण्ड का कार्यवाही पत्र प्रारिण करना इच्छित समझते हैं। उपखण्ड का कार्यवाही पत्र प्रारिण किया जाता है। फ़ावली कैबल शुभल होकर शायद ही सम्भव है।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा